

दिनांक २०/१२/१८ जमुकर पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

२६/१२/१८ पत्रावली के इशू
वकील वादी उपस्थित नहीं आये।
वादी को बाल-बाल आवाज दिल
वादी गपी कोश उपस्थित नहीं हुआ।
अतः दावा अफम एजरी अफम
पैरवी में खारिन किया जाता है।
पत्रावली के लाल पुस्तक बिक्री मजबूत
सकम है दाखिल दफ्तार है।

